

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।  
राख्या: ६४/१० / छठीस-१० (२०१९-२०) गोपेश्वर: दिनांक: २५ जून, २०२०  
अधिकारी अभियन्ता,  
प्रश्न नंबर छठड, लो०निर्दित,  
कर्णप्रद्यान।

**विषय:** जनपद चमोली में पैठाणी रो गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु रिप्रियल भूमि  
लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के साबधन गें।

वृत्तया उपरोक्ता विषयक संधिया (प्रभारी), राजरत अनुभाग-२, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून  
के शासनादेश सं०-२३८/XVIII(II)/२०२०-१०(१७)/२०२० दिनांक २८ फरवरी २०२० के अनुरार  
जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम यनोला प०व०० असेड  
सिगली की सीमान्तरागत खाठ०ख०सं०-१० के खासरा सं०-१३४६ रक्षया ०.४०१ है० भूमि मध्ये ०.१०० है० भूमि,  
जो कि राज्य सरकार की नॉनजेड श्रेणी-१०(१) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़कोट  
की सीमान्तरागत खाठ०ख०सं०-०५ के खासरा सं०-५५५ रक्षया ०.२८४ है० भूमि मध्ये ०.११९ है० भूमि, जो कि  
नॉनजेड श्रेणी-९(३)ग गौचर रथाई पशुघर एवं चराई की भूमियां के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त  
विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-२६०/वि०अनु०-३/२००२, दिनांक १५ फरवरी, २००२,  
शासनादेश सं०-१११/XVIII(II)(७)५०(३९) /२०१५/२०१४ दिनांक ०९ जुलाई, २०१५ एवं शासनादेश  
सं०-१८८७/XVIII(II)/२०१५-१८(१६९) /२०१५ दिनांक ३० जुलाई, २०१५ में निहित व्यवस्थानुसार  
लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित  
शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है—

१. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
२. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना  
हो और उसके लिए शासन रो सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
३. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तापित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो  
उसके लिये भूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
४. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ दबाँ तक आवंटित भूमि प्रस्तापित कार्य के लिए  
उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह भूल विभाग में रखा ही निर्दित हो जायेगी।
५. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु  
किसी अन्य व्यक्ति, संस्था समिति अथवा विभाग आदि को गूल विभाग की सहमति के बिना भूमि  
हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
६. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उससी भूमि के उपरान्त यदि भूमि अवशेष  
पड़ी रहती है, तो भूल विभाग को उसे दापत लेने का लियाजार होगा।
७. प्रश्नगत भूमि पर यह संस्कारण आधारान्वय लाभ हासि की दशा में भूमि के उपयोग का  
परिवर्तन गंर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उससे अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय प्रशिकारी से  
अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
८. यदि भूमि/भवन का परिवर्तन गंर दिया गया हो अथवा संशा का विघटन हो जाता है  
तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार गें सभी गारों से गुणा निहित हो जायेगी।
९. प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उपर्यूप जारीतारी दिग्गज एवं गू-व्यवस्था अधिनियम १९५० की  
धारा-१३२ एवं अन्य दुरुप्राप्त प्राविधिकों का अनुपालन उप विभागीय भराती द्वारा सुनिश्चित किया

3- छठड/१०/२०२०  
४- छठड/१०/२०२०

कलम: -2 -

९८

कार्यालय जिलाधिकारी चगोली।  
राज्या: ६५/१० / छठीस-१० (२०१९-२०) गोपेश्वर, दिनांक: २८ जून, २०२०  
अधिकारी अभियन्ता,  
पिंड वैक एवं खण्ड, लो०निं०वि०,  
कर्णप्रयाग।

विषय:

जनपद चगोली में पैठाणी रो गढ़कोट पैदल गाँव झूला पुल के निर्माण हेतु सिविल भूमि कृपया उपरोक्ता विषयक रायित(प्रभारी), राजत अनुगाम-२, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून जनपद चगोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल गाँव झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बोला प००२० अरेड जो कि राज्य सरकार नी नॉनजेडर श्रेणी-१०(१) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़कोट नॉनजेडर श्रेणी-९(३)ग गौचर रथाई पशुधर एवं चराई की भूमियां के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-२६०/वि०अनु०-३/२००२, दिनांक १५ फरवरी, २००२, शासनादेश सं०-१११/XVIII(II)(७)५०(३९) / २०१५/२०१४ दिनांक ०९ जुलाई, २०१५ एवं शासनादेश सं०-१८८७/XVIII(II)/२०१५-१८(१६९) / २०१५ दिनांक ३० जुलाई, २०१५ में निहित व्यवरथानुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिक्रियाओं के अधीन सहर्ष रवीकृति प्रदान की गई है:-

- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक गहत्या की इमारत न हो।
- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शारन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग वर्ग जाये तो उसके लिये भूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ वर्षों तक आवंटित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में वह ही निर्दित हो जायेगी।
- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसकी भूमि के उपयोग का विस्तीर्ण अन्य व्यवित, संरक्षण समिति अथवा विभाग आदि को गूल विभाग की सहायते के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी भूमि के उपयोग का विस्तीर्ण अन्य व्यवित, संरक्षण समिति अथवा विभाग आदि को गूल विभाग की सहायते के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण आधानेभाग लायू हार्न की दृश्य में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गंभीर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उससे अधिनेयम के बन्तार्गत विषय प्राचिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- यदि भूमि/भवन का परिवर्त्या कर दिया जाय हो अथवा संरक्षा का विवरण हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार ने उभी गाँव से कुपत्र निर्दित हो जायेगी।
- प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उपर्यूप जारी दिनाश एवं गू-व्यवरथा अधेनियम १९५० की धारा-१३२ एवं अन्य सुनामत प्रतिक्रियाओं का अनुपालन उपर्युक्त विभागी शरानी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

क्रमांक: -2 -

१८

10. इस सम्बन्ध में, शिविल अपील रांख्या-1132/2011(एरोडलोपी०) /<sup>(सी)</sup> संख्या-3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य वनान पंजान राज्य एवं अन्य गे माओ रार्योच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों विन्दु रांख्या-01 से 10 में रो किरी भी का उल्लंघन होने की रिक्ति में प्रश्नगत भूमि निर्माण राहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के कम में आप उप जिलाधिकारी, थराली से समन्वय स्थापित करते हुए प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार लोक निर्माण विभाग के नाम अगलदरामद / हस्तान्तरण करवाते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का काष्ट करें।  
संलग्नक—यथोपरि।

  
(स्वाति रासांभद्रौरिया)  
जिलाधिकारी,  
चमोली।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित वो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

6. उप जिलाधिकारी थराली वो इस निर्देश के लाभ प्रेषित हैं; संलग्न प्राशनादेश के प्रस्तर-01 से 11 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार लोक निर्माण विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद / हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—उत्तरानुसार।

  
जिलाधिकारी,  
चमोली।

9C

प्रेषक,

सुशील कुमार,  
सचिव (प्रभारी)  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ जिलाधिकारी,  
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2

विषय:-जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

A/Cm / LAC I  
✓  
ame  
20-3-20

1

देहरादून: दिनांक: २८ फरवरी, 2020

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3443/छब्बीस-18 (2019-2020), दिनांक 05 फरवरी 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला, प०४० असेड सिमली की सीमान्तर्गत खा०ख०स०-१० के खसरा स०-१३४६ रक्षा 0.401 है० भूमि मध्ये 0.100 है० भूमि, जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-10(1) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़लकोट, की सीमान्तर्गत खा०ख०स०-०५ के खसरा स०-५५५ रक्षा 0.284 है० भूमि मध्ये 0.119 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-९(3)ग गौचर स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमियों के रूप में दर्ज अभिलेख है, को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला, प०४० असेड सिमली की सीमान्तर्गत खा०ख०स०-१० के खसरा स०-१३४६ रक्षा 0.401 है० भूमि मध्ये 0.100 है० भूमि, जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-10(1) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़लकोट, की सीमान्तर्गत खा०ख०स०-०५ के खसरा स०-५५५ रक्षा 0.284 है० भूमि मध्ये 0.119 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-९(3)ग गौचर स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमियों के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या-२६०/वित्त/अनुभाग-३/2002, दिनांक-१५-०२-२००२, शासनादेश संख्या-१११/xxvii(7)५०(३९)/२०१५/२०१४, दिनांक-०९-०७-१०१५ तथा शासनादेश संख्या-१८८७/XVIII(II)/२०१५-१८(१६९)/२०१५, दिनांक ३० जुलाई, २०१५ में निहित प्राविधानानुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से गिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में रखतः ही निहित हो जायेगी।

...2

9C

- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि छरान्तरित की जा रही है उससे गिन किरी अन्य प्रयोजन हेतु किरी अन्य व्यक्ति, संरथा, समिति अथवा विभाग आदि को गूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो गूल विभाग को उसे वापरा लेने का अधिकार होगा।
- (7) प्रश्नगत भूमि और वन रांक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी काय हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संरथा का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व ७०प्र० जर्मीदारी विनाश एवं भू-व्यवरथा अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मात्र सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों विन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला-स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
मुशील कुमार  
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- / XVIII(II) / 2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजरव परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव।

१८